

सेवा में,

नौदल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक,
वन (संरक्षण) अधिनियम 1980,

उ०प्र० लखनऊ।

एटा से अलीगढ़-कानपुर संरक्षण (एन०एच०-91) कि०मी० 186 से 229 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 65.495 हे० संरक्षित वनभूमि वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्ष व 858 पौध कुल 5798 वृक्ष/पौधों के पालन की अनुमति।

आपका पत्रांक 1518/एटा/22374/2016 दिनांक 04.12.2017

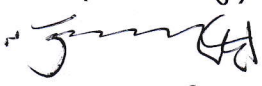
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव संन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या प्रमाणित निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा ने पत्र संख्या 1458/14-1 दिनांक 26.01.2018 द्वारा प्रेषित की गयी है। अतः प्रमाणित निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर निम्नप्रकार आपत्तियों का निराकरण संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

कस	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। ऑनलाइन पार्ट-2 अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्ताव में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है। ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्तावित वनभूमि की गणना में विद्यमान R.O.W., विद्यमान मार्ग, प्रस्तावित वनभूमि एवं चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि की बौनेजवार गणना अंकित नहीं है। संशोधित गणना ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्तावित वन भूमि की गणना में विद्यमान आर०ओ०डब्ल्यू की बौनेजवार संशोधित विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
3	परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृती संलग्न नहीं है। सत्यापित प्रति ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है तथा सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
4	ऑनलाइन पार्ट-2 पर अपलोड बाधक वृक्षों की संख्या 4923 है किन्तु परियोजना में बाधक 4940 वृक्षों व 858 पौधों का विवरण संलग्न है। जो विसंगतिपूर्ण है। स्थिति स्पष्ट करते हुए ऑनलाइन व ऑफलाइन संशोधित करने का कष्ट करें।	ऑनलाइन पार्ट-2 पर अपलोड बाधक वृक्षों की संख्या 4923 है तथा 4940 संशोधित कर दी गयी है तथा 858 पौधों का विवरण अतिरिक्त अभिलेखों में अपलोड किया गया है।
5	प्रमाण-पत्र की रंगीन छायाप्रति संलग्न है। ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-क-1(ए) पर अपलोड जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है।	जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया प्रमाण-पत्र के साथ न संलग्न कर रंगीन छायाप्रति जिलाधिकारी द्वारा जारी एक०आर०ए० मूल में प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
6	वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ न संलग्न कर रंगीन छायाप्रति ऑनलाइन पार्ट-1 के अन्तर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा जारी एक०आर०ए० मूल में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा जारी एक०आर०ए० मूल में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7	प्रस्तावित स्थल की कोऑरिनेट काडल प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। प्रस्तावित स्थल की कोऑरिनेट काडल प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।	प्रस्तावित स्थल की कोऑरिनेट काडल प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।

	R.O.W. प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को भीतर में दर्शाया गया हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	
9	ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-1(XVII) में अपलोड पावर ऑफ अटर्नी में आवेदक का नाम व हस्ताक्षर प्रमाणित कर अपलोड नहीं किया गया है, न ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।	पावर ऑफ अटर्नी आवेदक का नाम व हस्ताक्षर प्रमाणित कर अपलोड कर दिया गया है।
10	ऑनलाइन पार्ट-2 के बिन्दु-13-1 के कमांक -3 व 4 पर अपलोड के0एम0एल0 फाइल खुल नहीं रही है। ऑनलाइन पार्ट 2 के बिन्दु संख्या 13-1 में अपलोड अपलोड के0एम0एल0 फाइल खुल नहीं रहा है, जिससे उक्त खल की वनावरण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। संशोधित कर पुनः ऑनलाइन अपलोड करें व के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	ऑनलाइन पार्ट 2 के बिन्दु संख्या 13-1 में अपलोड कर दिया गया है तथा के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
11	उक्तानुसार सूचनाओं / अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर पुष्ट संख्या व तदनुसार विषय-सूची अपडेट कराने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में विशेष सूची अपडेट कर पुष्ट संख्या अंकित कर दी गयी है।

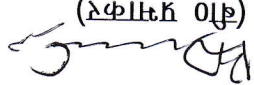
अतः संशोधित प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(बी0 प्रमाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 8389 / 14-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।
4. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी0आई0यू0 अलीगढ़।


(बी0 प्रमाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।